



प्रेस विज्ञप्ति

04.02.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड (आरकेएमपीपीएल) की चल रही जांच के हिस्से के रूप में श्रीमती अंडाल अरुमुगम, एस अरुमुगम और अन्य से जुड़े परिसरों को निशाना बनाते हुए चेन्नई में तीन स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), ईओडब्ल्यू, नई दिल्ली द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। यह मामला छत्तीसगढ़ में फतेहपुर पूर्व कोयला ब्लॉक के कथित धोखाधड़ी से अधिग्रहण से संबंधित है, जिसे कोयला मंत्रालय ने बिजली क्षेत्र के लिए आवंटित किया था।

ईडी की जांच से पता चला है कि आरकेएमपीपीएल ने कोयला ब्लॉक आवंटन के आधार पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) से ऋण प्राप्त किया। इन निधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, 3,800 करोड़ रुपये, एक विदेशी संस्था मेसर्स एमआईपीपी, जिसे आरकेएमपीपीएल द्वारा नियंत्रित किया जाता है, को अधिक मूल्यांकित संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए स्थानांतरित किया गया था। आगे की जांच से पता चला कि कोयला ब्लॉक आवंटन के बाद, आरकेएमपीपीएल ने अपने 26% शेयर मलेशिया स्थित मेसर्स मुदजाया कॉर्पोरेशन बीएचडी को और 10.95% शेयर एनर्क इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड को, 240 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर जारी किए। इसके विपरीत, 63.05% शेयर मेसर्स आर के पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड को अंकित मूल्य पर आवंटित किए गए। मूल्यांकन पद्धति में पारदर्शिता का अभाव था, और चार्टर्ड एकाउंटेंट का उचित मूल्य निर्धारण लगातार लागू नहीं किया गया था।

बाद की जांच में पाया गया कि मेसर्स मुदजाया कॉर्पोरेशन ने मुदजाया कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी मेसर्स एमआईआईपी इंटरनेशनल से उपकरण खरीद के लिए पीएफसी-स्वीकृत फंड को पुनर्निर्देशित करके अपने 240 रुपये प्रति शेयर प्रीमियम का वित्तपोषण किया। इसके परिणामस्वरूप प्रभावी रूप से परियोजना निधियों को यहां से वहां और वहां से यहां घुमाया गया। अनुमानित 1800 करोड़ रुपये इक्विटी भागीदारी की आड़ में विदेशी संस्थाओं के माध्यम से व्यवस्थित रूप से आरकेएमपीपीएल को वापस भेज दिए गए थे।

तलाशी अभियान के दौरान, कई मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए जिनमें पर्याप्त सबूत थे। इसके अतिरिक्त, पीएमएलए की धारा 17(1)(ए) के तहत, सावधि जमा रसीदों (एफडीआर) और म्यूचुअल फंड के लिए 912 करोड़ रुपये की राशि के फ्रीजिंग आदेश जारी किए गए थे और अचल संपत्तियों से संबंधित प्रमुख दस्तावेज, सामूहिक रूप से लगभग 1000 करोड़ रुपये मूल्य के थे।

आगे की जांच प्रगति पर है।